

FORM-1

(For linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML SR (57)/2019-123

dated: 8/2/20


TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **00-59-44 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of the Executive Engineer, Shimla Division No-I, HPPWD, Shimla for construction of link road from Ghillu to Shakrogda (proposed for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Mauja Kavara, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **00-59-44 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Sub Division Level Committee(S) and the District Level Committee are enclosed as annexure-A to annexure-B.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl. As above.



(Aditya Negi)
District Collector,
Shimla (H.P.)

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH**

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.

A meeting of the District Level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Shri Aditya Negi, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on **22-01-2021 at 12.30 PM** in which the application(s) of applicants of Gram Sabha Kavara claiming rights in village forest area(s) **00-59-44 Hectares** under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee, Shimla (Rural) were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim(s) of following applicant(s) were found to be in order hence admitted:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
		----	Nil---

Claim(s) of the following applicant(s) were not found in order and hence rejected:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
		----	Nil---

As informed by SDO(Civil), Shimla (Rural) no application was received from Gram Sabha Kavara claiming right in **00-59-44 Hectares** forest area.

Place: Shimla

Date: 8-2-2021

**Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,
Shimla.**

(3) (3)

OFFICE OF THE Sub-Divisional Officer (Civil) Shimla (R) District Shimla (H.P.)

Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Right (Act (FRA) 2006.

A Meeting of the District level Committee of **Shimla Rural** Sub Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/of Mr/Ms Manoj Kumar, SDO (Civil) Shimla Rural on **04-12-2020** at **11.00 AM** at Shimla (Place) in which the applications(s) of the applicant(s) of **President Forest Right Committee**, Mauja **Kawara** as discussed and recommended the same is to be forwarded to District level Committee for approval.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and recommended for admission to District level Committee:

S. No.	Name of Applicant	Name of forest	Detail of forest Rights
1	No Claim from anybody has been Recived		

2.

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S. No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
--------	-------------------	----------------	------------------------

1.	Nil		
----	-----	--	--

2.

OR

As informed by **Kawara (Beolia)** Gram Sabha no application was received claiming rights in 0-59-44 Hect. forest area.

Place:

Date:

**SDO(Civil)-cum-²⁷Chairman/Chairperson person
Sub-Division Level Committee,
Shimla Rural, Sub-Division.**

/

PROCEEDINGS OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHTS COMMITTEE HELD ON 22-01-2021 at 12:30 PM UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI ADITYA NEGI, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

Meeting of the District Level Forest Rights Committee was convened on 22-01-2021 at 12:30 PM under the Chairmanship of Shri Aditya Negi, IAS, Deputy Commissioner, Shimla in his office chamber. The followings were present:-

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Smt. Prabha Rajeev | Addl. District Magistrate (L&O). |
| 2. Sh. Ashok Kr Negi | Divisional Forest Officer, Theog. |
| 3. Sh. Arvind Kumar | Divisional Forest Officer, Rampur. |
| 4. Sh. Susheel Rana | Divisional Forest Officer, Shimla (Rural). |
| 5. Sh. Devinder Chauhan | Range Officer, Dodrakawar. |

At the outset, the Deputy Commissioner, Shimla welcomed all the members of the committee. The ADM (L&O) apprised that following 19 cases approved by the Sub-Divisional Level Forest Rights Committees to issue FRA certificate for processing the cases under the Forest Conservation Act, 1980 have been received from the respective Sub Divisional Officers (C).

Sr. No.	Name of Proposals
1.	Construction of link road Jatingri to Shalangra, Mohal Kutasani, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
2.	Construction of Fire Training Centre Baldeyan, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
3.	Construction of Link road from Ghillu to Shakrogda, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
4.	Construction of Research & Training Institute, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
5.	Construction of GMS Building at Jatoli, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
6.	Construction of water Storage Tank, Moot Court Library Block and Legal Aid Clinic, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla.
7.	Construction of road from Bamta Kainchi to Mamvi Pujarli (Shangroli) via Jagdahi, Tehsil Chopal, District Shimla.

9.	Construction of Sheel Thachali Soyal Bagna Road, Tehsil Nerwa, District Shimla.
10.	Construction PHC building at Dewat Tehsil Nerwa, District Shimla.
11.	Construction of Tehsil building at Kupvi, Tehsil Kupvi, District Shimla.
12.	Construction of Sarain Micro Hydel Project (100Kw).
13.	Construction of road from Ganvi Madhara Chaladi Ninvi, Tehsil Rampur, District Shimla.
14.	Construction of road from Pajidhar Pashgoan to Shuamaya, Tehsil Rampur, District Shimla.
15.	Construction of road from Keo to Khanidhar, Tehsil Rampur, District Shimla.
16.	Construction of Kot Dogri SHEP (10MW), Tehsil Rampur, District Shimla.
17.	Construction of road from Fancha to Nanti Tikkar, Tehsil Rampur, District Shimla.
18.	Construction of Saru-I Small Hydro Electric Project (3MW), Tehsil Dodrakwar, District Shimla.
19.	Construction of Saru Top Hydro Power Project (1.5MW), Tehsil Dodrakwar, District Shimla.
19.	Construction of Rupin HEP (45 MW), Tehsil Dodrakwar, District Shimla.

All the cases were perused and considered by the committee and after discussion, the same were approved to issue FRA Certificate for processing cases by the user departments under Forest Conservation Act, 1980.

The meeting ended with vote of thanks to and from the chair.

**Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,
Shimla, District Shimla, H.P.**

उप-मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति शिमला ग्रामीण की बैठक दिनांक 04-12-2020 जो कि श्री मनोज कुमार उप-मण्डलाधिकारी (ना0) शिमला ग्रामीण एवं अध्यक्ष उप-मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही ।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

- 1 श्री मनोज कुमार अध्यक्ष ।
- 2 श्री सजीव गुप्ता तहसीलदार शिमला ग्रामीण एंव सदस्य सचिव।
- 3 श्री प्रदीप वर्मा सदस्य वन अधिकार समिति बसन्तपुर ।
- 4 श्री नरेश कुमार सदस्य वन अधिकार समिति सन्दोआ ।
- 5 श्रीमति मीना कुमारी सदस्य वन अधिकार समिति बल्देयां शिमला।
- 6 प्रतिनिधि **DFO Shimla.**


आज दिनांक 04-12-2020 को उप-मण्डलाधिकारी की अध्यक्षता में उप-मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक की गई, बैठक में सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात निम्न मदों पर चर्चा की गई :-

मद संख्या 1 बैठक में अधिशाषी अभियन्ता शिमला ग्रामीण मण्डल हिमाचल प्रदेश जो लोक निर्माण विभाग धामी के पत्र संख्या NO SRDD-Diversion of forest land/2020 10093-94 दिनांक 26.09.2020 के आवेदन पत्र जिसमें कि 'Construct link road jatingrā to Shalangra, mohal Kutasani measuring 0.06.92 Hec. भूमि ग्राम वन अधिकार समिति मौजा कुटासनी में Link road निर्माण बारे संस्तुति की गई है भूमि हस्तान्तरण करने बारे प्रस्ताव पारित किया है उर्पयुक्त मद के सन्दर्भ में उप-मण्डल स्तर पर वन अधिकार समिति के समक्ष कोई भी दावा प्रस्तुत न हुआ, अतः उक्त प्रयोजन हेतु भूमि देने बारे प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

मद संख्या 2 बैठक में मण्डलीय अग्निशमन अधिकारी अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र बल्देयां हिमाचल प्रदेश जो के पत्र संख्या NO HOM, (F.S.) F.T.C (B)-34/82-264 दिनांक 06.08.2020 के आवेदन पत्र जिसमें कि अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र बल्देयां के लिए वन भूमि को हस्तान्तरण करवाने वाले मडाल जमल महसूल नालदेहरा की भूमि खसरा नं0 40/1 रकबा तादादी 0-53-73 है0 खसरा नं0 41 ता 47 रकबा तादादी 0-35-02 है0 कित्ता 8 रकबा तादादी 0-38-75 है0, भूमि ग्राम वन अधिकार समिति मौजा जमल महसूल नालदेहरा में अग्निशमन विभाग को भवन के निर्माण बारे प्रस्ताव पारित किया है उर्पयुक्त मद के सन्दर्भ में उप-मण्डल स्तर पर वन अधिकार समिति के समक्ष

412/1,415/1& 417/1 R.D 0/0 to 0/490 भूमि ग्राम वन अधिकार समिति मौजा कच्चीघाटी (बाग) मे Ambulance road निर्माण बारे संस्तुति की गई है भूमि हस्तान्त्रण करने बारे प्रस्ताव पारित किया है उर्पयुक्त मद के सन्दर्भ में उप-मण्डल स्तर पर वन अधिकार समिति के समक्ष कोई भी दावा प्रस्तुत न हुआ, अतः उक्त प्रयोजन हेतु भूमि देने बारे प्रस्ताव सर्वसम्मिति से पारित किया गया।

मद संख्या 7 बैठक मे Registrar Himachal Pradesh National Law University Shimla पत्र संख्या NO HPNLU-B(15)-7(Estt.)/2020/- 2932 दिनांक 24.11.2020 के आवेदन पत्र जिसमें कि Construct of Water Storage Tank, Moot Court, Library Block and Legal Aid Clinic, Khasra No. 1157/672 and Khasra No. 720 adjoining mohal Ghandal area measuring 00-40-56 Hect. भूमि ग्राम वन अधिकार समिति मौजा घण्डल मे टैंक व पुस्तकालय के निर्माण बारे संस्तुति की गई है भूमि हस्तान्त्रण करने बारे प्रस्ताव पारित किया है उर्पयुक्त मद के सन्दर्भ में उप-मण्डल स्तर पर वन अधिकार समिति के समक्ष कोई भी दावा प्रस्तुत न हुआ, अतः उक्त प्रयोजन हेतु भूमि देने बारे प्रस्ताव सर्वसम्मिति से पारित किया गया।


उप-मण्डलाधिकारी(ना0)
एवं अध्यक्ष वन अधिकार
समिती शिमला ग्रामीण जिला
शिमला ।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा... वाडि वतारा
विकास खण्ड... राजपुरा जिला... शिमला (हि.प्र.)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक... 14-12-2019

गणपूर्ति... 120/230

प्रस्ताव संख्या... 2

विषय C/O Ambulance road Ghillo to shakurga विभाग/संस्था को लोक निर्माण विभाग
के निर्माण हेतु राजपुरा गांव वतारा जंगल/वन क्षेत्र
में प्रस्तावित 0.5944 हैक्टर वन भूमि के उपयोग
को मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा... वाडि वतारा (चपोल्या) की बैठक आज दिनांक... 14-12-2019
को... 1 बजे स्थान वतारा की गई, जिसमें लोक निर्माण
विभाग/संस्था को C/O Ambulance road Ghillo to shakurga के निर्माण हेतु राजपुरा गांव वतारा
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.5944 हैक्टर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के
लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्वसम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली है तथा प्रस्तावित 0.5944 हैक्टर वन भूमि को राजपुरा विकास खण्ड के राजपुरा में निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा वाडि वतारा की सहमति दी जा रही है।

Copy Attested

स्थान... वतारा Addl. District Magistrate
दिनांक... 14-12-2019 SHIMLA

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा... Yash

अनुमूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
 वन अधिकार समिति
 ग्राम सभा क्वारा (ब्योलिया)
 प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 01/07/2019

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा क्वारा (ब्योलिया) की बैठक आज दिनांक 01-07-2019
 को 1 बज स्थान क्वारा में श्री/श्रीमति शैला चन्द शर्मा

की अध्यक्षता में की गई जिसमें क्वारा गांव की अनुमूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत राजस्व गांव क्वारा जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा C/O. Ambulance road Ghillo to Shakurga के निर्माण के लिए 0.59.44 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांववासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तावों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	*पात्र गांववासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौर
1	<u>उषान</u>	<u>राजस्व गांव क्वारा</u>	<u>वाड क्वारा</u>
2	<u>ग्राम स्वयंसेवक पुजारली</u>	<u>(मल्लाड़) (क्वारा)</u>	

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।
 उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

Copy Attested
Shayl
 Addl. District Magistrate
 SHIMLA

क्र.सं.	*पात्र गांववासी का नाम
1	<u>कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई</u>
2	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।
 या

क्वारा क्वारा जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।
 स्थान क्वारा
 दिनांक 1-07-2019

Shayl
 वन अधिकार समिति
 ग्राम क्वारा ब्योलिया

Ramesh
 अधिकृत हस्ताक्षर
 प्रधान ग्राम सभा उषान
 वन अधिकार
 वन अधिकार (ब्योलिया)

ग्रामवासी/ग्रामवासीयों के नाम बिन्दुओं के साथ निम्नलिखित इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए प्रस्तावित किए गए हैं।
 पात्र/कार्य का नाम बिन्दुओं के साथ (संस्थापक अधिनियम, 1930 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग के लिए)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा बवारा (चौलिपा)

प्रतिनिधी प्रस्ताव

दिनांक 10-10-2019

प्रस्ताव संख्या 3
ग्राम सभा बवारा चौलिपा को बैठक आज दिनांक 10-10-2019 को 2
वजे स्थान बवारा में श्री/श्रीमति रमेश चन्द शर्मा की अध्यक्षता में की गई जिसमें बवारा गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत

वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत शजस्त गाँव बवारा जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा C/O Ambulance road Chillo to Shokugra के निर्माण के लिए 0.5944 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हनू ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	*पात्र गांववासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	<u>उथान</u>	<u>शजस्त गाँव बवारा</u>	<u>वाड बवारा</u>
2.	<u>जगम फजमत गुजरली</u>	<u>महाई (बवारा)</u>	

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को प्राप्त करने हुए इस खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है। उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

Copy Attested

क्र.सं.	*पात्र गांववासी का नाम
1.	<u>कोई आपत्त प्राप्त नहीं हुई</u>
2.	

Shrey
Addl. District Magistrate
SHIMLA

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निम्न करती है।
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त मुद्दों के अनुसार जगम बवारा जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।
स्थान 10-10-2019
दिनांक बवारा

जयदेव

Lamark
अधीक्षक हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा उथान

ग्रामवासी/ग्रामवासियों के नाम जिनके वन वन अधिकारों की वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।
पोजेक्ट/कार्य का नाम जिनके लिए वन (संस्थापना) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग को अनुमति दी जाने है।